भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *126
दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 / 21अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

कारागारों में क्षमता से अधिक कैदियों की संख्या

†126. श्री सुनील कुमार मंडलः**
श्रीमती अपरुपा पोद्दारः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कारागारों की वर्तमान स्थिति क्या है और ऐसे कारागारों की संख्या, उनके नाम और ब्यौरा क्या है जहां कैदियों की संख्या की दर 200 प्रतिशत से अधिक है;
(ख) कारागारों की क्षमता, समस्त कैदियों की वर्तमान संख्या और कारागारों में कैदियों की संख्या की दर का राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या हैं;
(ग) क्या सरकार ने कारागारों में कैदियों की भीड़भाड़ को कम करने के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या कारागारों के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को निधियों का आबंटन रोक दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कारण क्या है और इस संबंध में यदि कोई सुधारात्मक भावी पहल की जाने वाली है, तो वह क्या है; और
(ङ) क्या सरकार का कारागारों की क्षमता बढ़ाने और अपराधियों के पुनर्वास के संबंध में कोई सुधार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीअजय कुमार मिश्रा)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा ता. प्र. सं. *126 दिनांक 12.12.2023

"कारागारों में क्षमता से अधिक कैदिओं की संख्या" के संबंध में दिनांक 12.12.2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *126 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा उसे सूचित किए गए कारागार संबंधी आंकड़ों को संकलित करता है और उन्हें अपने वार्षिक प्रकाशन "प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 की है। 31 दिसंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार, जेल-वार क्षमता एवं उनमे कैदियों की संख्या का विवरण एनसीआरबी की वेबसाइट https://www.ncrb.gov.in पर अतिरिक्त तालिका "जेल-वार क्षमता और कैदी जनसंख्या" के रूप में उपलब्ध है।

(ख): 31 दिसंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार, जेलों की उपलब्ध क्षमता, कैदियों की संख्या और अधिभोग दर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुलग्नक-I में दी गई है।

(ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 4 के तहत, 'कारागार'/'उनके भीतर बंद व्यक्ति', 'राज्य सूची' के विषय हैं। अत:, कारागारों और उनमें बंद व्यक्तियों के प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है, जो कारागारों में भीड़-भाड़ के मुद्दे का समाधान करने और अपनी स्थानीय जरूरत एवं आवश्यकता के अनुरूप कारागारों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए सक्षम हैं। गृह मंत्रालय द्वारा कारागारों में भीड़भाड़ की समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित पहल की गई हैं:

(i) भारत सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में धारा 436क जोड़ी है, जिसमें किसी कानून के तहत अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की अवधि की आधी अवधि की सजा काट लेने पर, किसी विचारणाधीन कैदी को जमानत पर रिहा करने का प्रावधान है।

(ii) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में "प्ली बार्गेनिंग" (धारा 265क से 265ठ) पर एक नया "अध्याय XXIक" जोड़ कर "प्ली बार्गेनिंग" की अवधारणा शुरू की गई है, जो प्रतिवादी और अभियोजन पक्ष के बीच विचारण-पूर्व बातचीत की सुविधा प्रदान करती है।

(iii) ई-प्रिजन सॉफ्टवेयर, जो "अंतर-प्रचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली" के साथ समेकित किया गया एक "कारागार प्रबंधन एप्लीकेशन" है, में राज्य जेल प्राधिकारियों को कैदियों के आंकड़े शीघ्र और कारगर तरीके से प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है और यह उन कैदियों की पहचान करने में उनकी मदद करता है, जिनके मामलों पर "विचारणाधीन कैदी समीक्षा समिति" (अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी), आदि द्वारा विचार किया जाना है।

(iv) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किए गए 'आदर्श कारागार मैनुअल 2016' में 'कानूनी सहायता' और 'विचारणाधीन कैदी', आदि पर विशेष अध्याय निहित हैं, जिनमें विचारणाधीन कैदियों को उपलब्ध कराई जा सकने वाली सुविधाओं अर्थात कानूनी बचाव, वकीलों के साथ साक्षात्कार, सरकारी खर्चे पर कानूनी सहायता के लिए न्यायालयों में आवेदन करने आदि के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं।

लोक सभा ता. प्र. सं. *126 दिनांक 12.12.2023

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों ने जेलों में विधिक सेवा क्लीनिक स्थापित किए हैं, जो जरूरतमंद व्यक्तियों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। इन विधिक सेवा क्लीनिकों का प्रबंधन, पैनल में शामिल विधिक सेवा अधिवक्ताओं और प्रशिक्षित पैरा-लीगल स्वयंसेवकों द्वारा किया जाता है। ये क्लीनिक यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए गए हैं कि सभी कैदियों को उनका पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता उपलब्ध हों और उन्हें कानूनी सहायता एवं सलाह उपलब्ध हो। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नि:शुल्क कानूनी सहायता की उपलब्धता, प्ली बार्गेनिंग, लोक अदालतों और कैदियों के जमानत के अधिकार सहित उनके कानूनी अधिकारों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जेलों में जागरूकता शिविर भी आयोजित करता है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने विचारणाधीन समीक्षा समितियों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की थी, जिसे गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है, ताकि वे उसका बेहतर ढंग से उपयोग कर सकें और कैदियों को राहत उपलब्ध करा सकें।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर जारी विभिन्न एडवायजरियों के माध्यम से कारागारों में भीड़भाड़ की समस्या के समाधान के लिए उपर्युक्त दिशानिर्देशों/मार्गदर्शन का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

(घ): गृह मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए 950 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ "कारागार आधुनिकीकरण परियोजना" को मंजूरी दी है। उन सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां प्रदान की गई हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्राधिकारों में 'आदर्श कारागार मैनुअल, 2016' को अपनाया है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अभी तक 174 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इस परियोजना के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आगे और निधि जारी करना संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उस उद्देश्य के लिए धन का उपयोग किए जाने पर, जिसके लिए निधि प्रदान की गई है और साथ ही गृह मंत्रालय को "उपयोगिता प्रमाण" पत्र प्रस्तुत किए जाने पर निर्भर करता है।

(ङ): राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, कारागारों की क्षमता बढ़ाने के लिए अपने-अपने क्षेत्राधिकार में उपयुक्त कदम उठाने के लिए सक्षम हैं।

गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 'आदर्श कारागार मैनुअल, 2016' परिचालित किया है जिसमें कारागार कैदियों के लिए "बाद में देखभाल एवं पुनर्वास" तथा "व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम" पर समर्पित अध्याय निहित हैं। गृह मंत्रालय ने कारागार कैदियों के कल्याण और सुधार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न एडवायजरी भी जारी की हैं। ये एडवायजरी गृह मंत्रालय की वेबसाइट https://mha.gov.in/ पर उपलब्ध हैं।

*****

लोक सभा ता. प्र. सं. *126 दिनांक 12.12.2023

अनुलग्नक-I

31 दिसम्बर, 2022 की स्थिति के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जेलों की उपलब्ध क्षमता, कैदियों की संख्या और अधिभोग दर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपलब्ध क्षमता	कैदियों की संख्या	अधिभोग दर
1	आंध्र प्रदेश	8659	7254	83.8
2	अरुणाचल प्रदेश	333	335	100.6
3	असम	9564	11592	121.2
4	बिहार	47750	64914	135.9
5	छत्तीसगढ़	14143	20451	144.6
6	गोवा	624	681	109.1
7	गुजरात	14065	16611	118.1
8	हरियाणा	20953	25471	121.6
9	हिमाचल प्रदेश	2528	2881	114.0
10	झारखंड	17671	19615	111.0
11	कर्नाटक	15589	16203	103.9
12	केरल	8369	8883	106.1
13	मध्य प्रदेश	29715	48857	164.4
14	महाराष्ट्र	25443	41070	161.4
15	मणिपुर	1272	855	67.2
16	मेघालय	680	1137	167.2
17	मिजोरम	1364	1580	115.8
18	नागालैंड	1490	469	31.5
19	ओडिशा	22855	18962	83.0
20	पंजाब	26556	30801	116.0
21	राजस्थान	22963	24659	107.4
22	सिक्किम	260	387	148.8
23	तमिलनाडु	24342	18806	77.3
24	तेलंगाना	7997	6497	81.2
25	त्रिपुरा	2365	1194	50.5
26	उत्तर प्रदेश	67600	121609	179.9
27	उत्तराखंड	3741	6858	183.3
28	पश्चिम बंगाल	21476	28789	134.1
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	319	258	80.9
30	चंडीगढ़	1120	1195	106.7
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	170	176	103.5
32	दिल्ली	10026	18497	184.5
33	जम्मू और कश्मीर	3629	5314	146.4
34	लद्दाख	155	30	19.4
35	लक्षद्वीप	64	6	9.4
36	पुदुचेरी	416	323	77.6
	कुल	**436266**	**573220**	**131.4**

$ अधिभोग दर = $\frac{\text{कैदियों की संख्या}}{\text{कुल क्षमता}} \times 100$

*****